

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

क्रमांक:- एफ.11(136)आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/ ४९२२९

जयपुर, दिनांक: ३०-११-२०११

अधिसूचना

मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 159/2011 दिनांक 30.11.2011 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 11(136) आर.एण्ड.पी. /सकवि/2001/10999 दिनांक 19.3.2001 को अतिक्रमित करते हुए राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का उचित लाभ दिये जाने हेतु विचार करने के लिये राज्य सरकार द्वारा "राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग" का गठन करती है।

यह आयोग राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के रूप में जाना जायेगा और यह राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गये कृत्यों का निष्पादन करेगा।

आयोग की संरचना:

आयोग में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत निम्न सदस्य होंगे:-

1. आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व एक सदस्य होगा।
2. आयोग का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष दोनों में से कोई एक पद पर स्वच्छकार वर्ग का व्यक्ति होगा।
3. शेष दो सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे।
4. सदस्यों का मनोनयन ऐसे योग्य, निष्ठावान और प्रतिष्ठावान व्यक्तियों में से किया जावेगा, जिन्होंने अनुसूचित जातियों के लिये न्याय के प्रति निःस्वार्थ सेवा में योगदान दिया है।

अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तेः-

1. आयोग का प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।
2. कोई सदस्य किसी भी समय राज्य सरकार को अपना लिखित त्याग पत्र देकर अपनी सदस्यता त्याग सकता है।
3. राज्य सरकार इस आयोग के सदस्य को निम्न परिस्थितियों में पदमुक्त कर सकेगी
 - अ. कानूनी रूप से दिवालिया घोषित होने पर।
 - ब. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक आचरण का दोषी पाये जाने पर।
 - स. किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पागल करार दिये जाने पर।
 - द. कार्य करने से मना करने अथवा कार्य करने के अयोग्य होने पर।
 - य. राज्य सरकार की राय में अपने पद का दुरुपयोग करने के फलस्वरूप अनुसूचित जातियों अथवा जनहित में पद पर बने रहने के अनुपयुक्त होने पर, परन्तु ऐसे मामलों में सदस्य की सदस्यता बिना उसे सुनवाई का मौका दिये समाप्त नहीं की जा सकेगी।
 - र. आयोग के सदस्य का पद रिक्त होने पर राज्य सरकार द्वारा भरा जायेगा।

आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी

1. राज्य सरकार द्वारा आयोग को एक सचिव एवं ऐसे अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करवाये जायेंगे जो आयोग के कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक हों। आयोग के लिये स्टाफ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जावेगी।

2. आयोग के प्रयोजनार्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते और सेवा की शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जावेगी।

वेतन भत्तों का भुगतान:


1. आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन व भत्ते राज्य सरकार द्वारा अलग से निर्धारित किये जावेंगे।
2. आयोग के सदस्यों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-भत्तों के भुगतान के लिये आवश्यक धनराशि का बजट में प्रावधान किया जावेगा।

प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना :

1. आयोग जब कभी आवश्यक हो राज्य में ऐसे स्थान व समय पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझें।
2. आयोग अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगा।

कार्य एवं शक्तियां

अनुसूचित जाति आयोग राज्य की अनुसूचित जातियों की समस्याओं के समाधान का कार्य सम्पादित करेगा। आयोग इन वर्गों के आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास की योजनाओं की मोनिटरिंग करेगा तथा उत्थान के कार्यक्रमों को देखेगा।




(अदिति मेहता)

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.11(136)आरएण्डपी/सान्याअवि/2001/ ८९२३०-३५५ जयपुर, दिनांक: ३०-११-२०११

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त मंत्री/राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. संभागीय आयुक्त, जयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/उदयपुर /भरतपुर।
8. सचिव, राजस्थान, विधानसभा, जयपुर। रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष।
11. समस्त जिला कल्वटर।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
13. आयुक्त, निःशवत जन, राजस्थान, जयपुर।
14. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सजपत्र में प्रकाशनार्थ।
15. अतिरिक्त निदेशक (पिछड़ी जाति), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
16. मुख्य लेखाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज, जयपुर। समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
17. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के समस्त अधिकारीगण।
18. गार्ड फाईल



प्रमुख शासन सचिव